②

तारीख हुक्म

16/04/18 वादी वकील उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली कार्यवाही दिनांक 14/05/2018 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

14/05/18 पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत जाखड़ा में रखी गई वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील बहस कार्यवाही करना चाहते हैं मुलतवी किया जाकर पत्रावली आगामी कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खारड़ा भारतसिंह में दिनांक 16/05/2018 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

16/05/18 पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खारड़ा भारतसिंह में रखी गई, वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से फर्द मौका प्राप्त हो चुकी है। वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी की भूमि मौजा-जाखड़ा पटवार मण्डल- जाखड़ा तहसील- गिड़ा जिला- बाड़मेर में खसरा नम्बर- 117 रकबा- 96.12 बीघा, खसरा नम्बर- 121 रकबा- 52.18 बीघा, खसरा नम्बर- 157 रकबा- 11.13 बीघा कुल रकबा- 161.03 बीघा भूमि खातेदारी की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि वादी के दादा रवीमाराम के पैतृक खातेदारी की थी तथा वादी के पिता भाइराम व आयूराम दो सगे भाई थे तथा वादी के पिता भाइराम का वादी के दादा रवीमाराम के जीवनकाल में ही देहान्त हो गया, जिस पर वादी के दादा रवीमाराम के फौत

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (3)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	होने पर खीमाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान वादी व उनके चाचा आदूराम थे जिस पर खीमाराम की फौतगी के समय नामान्तरकरण संख्या 187 पारित किया गया जिसमें वादी व उनके चाचा आदूराम को भाई मानते हुए दोनों को मृतक खीमाराम के पुत्र बताये गये जबकि वादी मृतक खीमाराम का पुत्र न होकर पोता था जो खीमाराम की मृत्यु से पहले फौत आदूराम का पुत्र है। जबकी जमाबन्दी में नाम अम्मेदाराम पुत्र खीमाराम दर्ज को गया जबकि वादी का नाम अम्मेदाराम पुत्र आदूराम है। इस कारण वादी की वल्दियत अम्मेदाराम पुत्र आदूराम दर्ज करनी थी परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने बिना जाँच किये ही वादी को खीमाराम का पुत्र मानते हुए उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया। जबकि वादी की वल्दियत में वास्तविक नाम आदूराम अंकित न कर गलत रूप से दादा खीमाराम का नाम अंकित कर दिया जबकि मृतक खीमाराम के कोई जांयदा पुत्रों में से किसी का भी नाम अम्मेदाराम नहीं था परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने भूलवंश बिना विधिक जाँच किये अपने विवेक से वादी को मृतक खीमाराम का पुत्र मानते हुए राजस्व रेकर्ड में अंकित कर दिया गया। जबकि वादी का वास्तविक नाम अम्मेदाराम पुत्र आदूराम है तथा इसी प्रकार वादी के दादा की फौतगी पर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित होना चाहिये था। वादी के नाम	

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (4)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड सहित समस्त दस्तावेजो मे वादी की वल्दियत भाइराम अंकित है। तथा वादी इसी वल्दियत से गाँव व घर मे जाना पहचाना जाता है मृतक रवीमाराम के अम्मेडाराम के नाम से कोई औरस लड़का नहीं था तथा न ही अम्मेडाराम पुत्र रवीमाराम के नाम से कोई व्यक्ति ग्राम जायड़ा मे निवास करता है। वादी की वास्तविक व सही नाम व वल्दियत अम्मेडाराम पुत्र भाइराम है तथा वादी इसी नाम से राजस्व रेकर्ड मे अंकित करवाना चाहता है। इसलिये वादग्रस्त भूमि मे अंकित उम्मेडाराम पुत्र ~~भाइराम~~ रवीमाराम का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर वादी का सही नाम अम्मेडाराम पुत्र भाइराम की घोषणा की जाने हेतु यह घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण तहसीलदार गिड़ा से रिपोर्ट ली गई, तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त रिपोर्ट मे वादी का सही नाम अम्मेडाराम पुत्र भाइराम है वादी के समस्त प्रकार के दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड मे वादी का नाम अम्मेडाराम पुत्र भाइराम है। जबकि राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम उम्मेडाराम पुत्र रवीमाराम दर्ज है जिसके स्थान पर वादी का सही नाम अम्मेडाराम पुत्र भाइराम किये जाने की अभिशंषा की गई। अतः वादी के अधिवक्ता की बहस सुनने व तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त की मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद	

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (5)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादग्रस्त भूमि मौजा- जाखड़ा पटवार मण्डल जाखड़ा तहसील गिड़ा जिला- बाड़मेर के खसरा नम्बर- 117 रकबा- 96.12 बीघा, खसरा नम्बर- 121 रकबा- 52.18 बीघा, खसरा नम्बर- 157 रकबा- 11.13 बीघा कुल रकबा- 161.03 बीघा भूमि में वादी का दर्ज नाम उम्मेदाराम पुत्र खीमाराम के नाम के स्थान पर वादी का सही नाम उम्मेदाराम पुत्र भाटूराम दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार गिड़ा राजस्व रेकर्ड में उम्मेदाराम पुत्र खीमाराम के स्थान पर उम्मेदाराम पुत्र भाटूराम दर्ज करें। अंतिम डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

अंतिम डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

अदालत न्याय आपके द्वार अभियान-2018 मुकाम कैम्प कोर्ट ग्राम पं. ख्यारड़ा भारतसिंह

इजलास श्री हेतराम चौहान R.A.S. अम्मेदाराम पुत्र आदूराम जाति कुम्हार नि० जायड़ा तह० गिड़ा बनाम तहसीलदार गिड़ा

दावा बाबत रा० वाद 88,188 RTAct

मुकदमा नं. 14/18 सन् 2018

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलई रूबरू कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ख्यारड़ा भारतसिंह व हाजरी श्री चुनाराम एड० मिनजानिब मुदई व — पेशकार तहसीलदार गिड़ा मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा- जायड़ा पटवार मण्डल- जायड़ा तहसील- गिड़ा के खेत खसरा नम्बर- 117 रकबा- 96.12 बीघा, खसरा नम्बर- 121 रकबा- 52.18 बीघा, खसरा नम्बर- 157 रकबा- 11.13 बीघा कुल रकबा- 161.03 बीघा भूमि के वादी का राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम उम्मेदाराम पुत्र खीमाराम के स्थान पर वादी का सही नाम अम्मेदाराम पुत्र आदूराम दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार गिड़ा वादी का राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम उम्मेदाराम पुत्र खीमाराम के स्थान पर अम्मेदाराम पुत्र आदूराम दर्ज करे, खर्चा पक्षकारान अपना- अपना वहन करे।

कौम.......... मुबलिंग.......... बाबत्..........

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह — फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख बसूलयाबी तक — को अदा करें।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 05 2018 को जारी की गई।

दस्तखत [signature]

ओहदा सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

मुहर सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

मुदई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराल हुकमनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराज हुकमनामा मुतफरिक		
			मीजाना		
मीजान					

नोट इस खर्चे के फार्म परं कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

मृतक खीमाराम के पुत्र बताये गये जबकि वादी मृतक खीमाराम का पुत्र

न होकर पोता था जो खीमाराम की मृत्यु से पहले फौत आदूराम का पुत्र